

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प09(25)राज-6/2014 / 2

जयपुर, दिनांक:- 09/4/2015

परिपत्र


समस्त जिला कलक्टर  
राजस्थान।

विषय:- सार्वजनिक आवश्यकताओं हेतु भूमि आरक्षण के क्रम में अभियान चलाने हेतु।

प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्रामों में सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए भूमि आरक्षित रखने हेतु अभियान के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।


इस क्रम में विभाग के परिपत्र क्रमांक प 9(9) राज-6/04/8 दिनांक 26.5.2008 से यह स्पष्ट किया गया है कि गैर मुमकीन अनाधिवासित राजकीय भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1992 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन किए जाने हेतु जिला कलक्टर सक्षम हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त परिपत्र अनुसार अभियान चलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित किए जाने की कार्यवाही की जावे।

  
(अनिल कुमार अग्रवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय राजस्व (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, राजस्व सचिव।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
6. निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

  
संयुक्त शारान सचिव